वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1108.96	196.84	1305.80	1198.00	215.29	1413.29	1134.80	211.96	1346.76	1594.25	245.02	1839.27
	पूंजी	***58.09***	...	*58.09*	*303.00*	...	*303.00*	*9.01*	...	*9.01*	*105.75*	...	*105.75*
	जोड़	**1167.05**	**196.84**	**1363.89**	**1501.00**	**215.29**	**1716.29**	**1143.81**	**211.96**	**1355.77**	**1700.00**	**245.02**	**1945.02**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	41.46	41.46	...	45.77	45.77	...	44.01	44.01	...	49.89	49.89
उद्योग													
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	...	10.60	10.60	...	11.00	11.00	...	10.78	10.78	...	23.05	23.05
3. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	7.14	7.14	...	7.30	7.30	...	7.30	7.30	...	7.70	7.70
4. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	3475	...	...	...	...	0.65	0.65	...	0.54	0.54	...	0.65	0.65
5. स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	2852	71.86	...	71.86	90.50	...	90.50	79.98	...	79.98	105.00	...	105.00
6. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए योजना	2852	...	...	...	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
जोड़-उद्योग		**71.86**	**17.74**	**89.60**	**100.50**	**18.95**	**119.45**	**80.98**	**18.62**	**99.60**	**115.00**	**31.40**	**146.40**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
7. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन	2070	2.56	25.20	27.76	3.00	27.47	30.47	2.10	26.91	29.01	3.00	30.22	33.22
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
8. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	35.65	35.65	...	38.19	38.19	...	37.19	37.19	...	41.53	41.53
9. भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री	3475	...	0.52	0.52	...	0.90	0.90	...	0.66	0.66	...	0.80	0.80
10. बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	3475	32.03	...	32.03	47.00	...	47.00	26.00	...	26.00	36.65	...	36.65
	4059	13.94	...	13.94	1.00	...	1.00	9.00	...	9.00	2.85	...	2.85
	जोड़	*45.97*	...	*45.97*	*48.00*	...	*48.00*	*35.00*	...	*35.00*	*39.50*	...	*39.50*
11. राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति प्रबंधन संस्थान	3475	0.40	0.49	0.89	3.00	0.40	3.40	1.50	0.40	1.90	3.25	0.50	3.75
	4059	0.05	...	0.05	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*0.45*	*0.49*	*0.94*	*5.00*	*0.40*	*5.40*	*1.50*	*0.40*	*1.90*	*3.25*	*0.50*	*3.75*
12. आर्थिक सलाहकार	3475	2.39	4.41	6.80	4.50	5.27	9.77	2.28	4.75	7.03	4.50	5.54	10.04
13. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)	3475	...	2.71	2.71	0.10	2.95	3.05	0.10	3.21	3.31	0.10	5.57	5.67
	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.90	...	3.90

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़		*...*	*2.71*	*2.71*	*0.10*	*2.95*	*3.05*	*0.10*	*3.21*	*3.31*	*4.00*	*5.57*	*9.57*
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**48.81**	**43.78**	**92.59**	**57.60**	**47.71**	**105.31**	**38.88**	**46.21**	**85.09**	**51.25**	**53.94**	**105.19**
14. टैरिफ आयोग	2852	...	6.73	6.73	...	7.89	7.89	...	7.13	7.13	...	8.05	8.05
15. नमक आयुक्त	2852	...	26.12	26.12	0.10	29.96	30.06	0.10	28.26	28.36	0.30	30.75	31.05
16. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	...	6.79	6.79	...	8.00	8.00	...	7.66	7.66	...	8.70	8.70
17. लुग्दी एवं कागज उद्योग विकास परिषद	2852	...	6.60	6.60	...	6.50	6.50	...	6.84	6.84	...	6.85	6.85
18. सीमेंट उद्योग विकास परिषद	2852	...	1.66	1.66	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.20	2.20
19. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	90.00	...	90.00	200.00	...	200.00	150.01	...	150.01	200.00	...	200.00
20. अन्य योजनाएं	2852	...	...	...	...	0.02	0.02	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
21. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	10.90	10.90	...	9.25	9.25	...	12.25	12.25	...	9.50	9.50
22. पिछड़े क्षेत्रों का विकास													
22.01 औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी	2885	222.73	...	222.73	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	25.00	...	25.00
22.02 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज	2885	74.14	...	74.14	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
22.03 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2007	2885	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
22.04 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी	2885	13.70	...	13.70	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
22.05 पूँजी निवेश सब्सिडी	2885	86.12	...	86.12	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
22.06 व्यापक बीमा योजना	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- पिछड़े क्षेत्रों का विकास		*396.69*	*...*	*396.69*	*140.01*	*...*	*140.01*	*140.01*	*...*	*140.01*	*125.03*	*...*	*125.03*
23. औद्योगिक आधारढांचा उन्नयन स्कीम	2852	111.14	...	111.14	115.00	...	115.00	71.69	...	71.69	115.00	...	115.00
24. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	...	7.70	7.70	...	8.60	8.60	...	9.10	9.10	...	10.00	10.00
25. बॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	0.05	0.05	...	0.24	0.24	...	0.21	0.21	...	0.25	0.25
26. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	2852	...	2.12	2.12	2.00	2.93	4.93	0.92	2.75	3.67	...	3.26	3.26
27. निवेश प्रोत्साहन योजना	2852	5.08	...	5.08	35.39	...	35.39	15.67	...	15.67	4.50	...	4.50
	3601	...	...	...	9.61	...	9.61	7.39	...	7.39	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	2.22	...	2.22	...	...	...
27.01 ई- बिज परियोजना	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13.95	...	13.95
जोड़- निवेश प्रोत्साहन योजना		*5.08*	*...*	*5.08*	*45.00*	*...*	*45.00*	*25.28*	*...*	*25.28*	*18.45*	*...*	*18.45*
28. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन न्यास													
28.01 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन न्यास को अनुदान	2875	411.40	...	411.40	207.80	...	207.80	303.80	...	303.80	...	...	...
	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	643.00	...	643.00

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013 आयोजना	वास्तविक 2012-2013 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2012-2013 जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	बजट 2013-2014 आयोजना-भिन्न	बजट 2013-2014 जोड़	संशोधित 2013-2014 आयोजना	संशोधित 2013-2014 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2013-2014 जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	बजट 2014-2015 आयोजना-भिन्न	बजट 2014-2015 जोड़
		जोड़	*411.40*	*...*	*411.40*	*207.80*	*...*	*207.80*	*303.80*	*...*	*303.80*	*643.00*	*...*	*643.00*
	28.02 प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र, नई दिल्ली	4059	...	...	...	300.00	...	300.00	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00
	जोड़- दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन न्यास		*411.40*	*...*	*411.40*	*507.80*	*...*	*507.80*	*303.81*	*...*	*303.81*	*693.00*	*...*	*693.00*
29.	राष्ट्रीय उद्योग कोरिडर विकास प्राधिकरण	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
30.	*सरकारी उद्यमों में निवेश*													
	30.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	4875	44.10	...	44.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	30.02 अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा	4875	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49.00	...	49.00
	जोड़- सरकारी उद्यमों में निवेश		*44.10*	*...*	*44.10*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*49.00*	*...*	*49.00*
31.	निवेश सब्सिडी (पुराना)	2885	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04	...	...	...
32.	अतिरिक्त भुगतान की वसूलियाँ	2852	-14.19	...	-14.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		2885	-0.40	...	-0.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3475	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		जोड़	*-14.59*	*-0.01*	*-14.60*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
33.	*पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान*													
	33.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007	2552	...	...	...	149.99	...	149.99	149.99	...	149.99	149.97	...	149.97
	33.02 औद्योगिक यूनिट को परिवहन सब्सिडी	2552	...	...	...	180.00	...	180.00	180.00	...	180.00	75.00	...	75.00
	33.03 स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित समर्थन	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*329.99*	*...*	*329.99*	*329.99*	*...*	*329.99*	*229.97*	*...*	*229.97*
कुल जोड़			***1167.05***	***196.84***	***1363.89***	***1501.00***	***215.29***	***1716.29***	***1143.81***	***211.96***	***1355.77***	***1700.00***	***245.02***	***1945.02***

		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
	29.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	12875	44.10	...	44.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	29.02 अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा।	12875	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49.00	...	49.00
जोड़			**44.10**	**...**	**44.10**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**49.00**	**...**	**49.00**
ग. योजना परिव्यय														

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
1. अन्य उद्योग	12875	721.95	...	721.95	973.40	...	973.40	634.89	...	634.89	550.75	...	550.75
2. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	396.29	...	396.29	140.01	...	140.01	140.05	...	140.05	868.03	...	868.03
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	48.81	...	48.81	57.60	...	57.60	38.88	...	38.88	51.25	...	51.25
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	329.99	...	329.99	329.99	...	329.99	229.97	...	229.97
जोड़		**1167.05**	**...**	**1167.05**	**1501.00**	**...**	**1501.00**	**1143.81**	**...**	**1143.81**	**1700.00**	**...**	**1700.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद:** इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, व्यावहारिक अनुसंधान आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. **एशियाई उत्पादकता संगठन:** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

5. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता:** इसमें स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिजायन संस्थान, केंद्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान एसोसिएशन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना आधारित सहायता देने का प्रावधान है।

6. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कार्यान्वयन योजना:** इस योजना में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और मंत्रीमंडल द्वारा 4.11.2011 को अधिसूचित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) की स्थापना नीति का महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के तहत प्रस्तावित निधि, एनआईएमजेड की मास्टर प्लानिंग, एनआईएमजेड से विदेशी भौतिक अवसंरचना जुड़ाव, उत्पादकता, गुणवत्ता (परीक्षण सुविधा और डिजाइन – पूंजी लागत की पूर्ति हेतु) की सांस्थानिक अवसंरचना; हरित भवनों को प्रोत्साहन; उचित प्रौद्योगिकीयों की अधिप्राप्ति के लिए स्थापित की जाने वाली प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि; पेटेंट पूल सृजन; एनआईएमजेड में अति लघु, लघु उद्यमों को आवश्यक पर्यावरण अंकेक्षण, जल अंकेक्षण और गंदा पानी प्रसंस्करण आदि हेतु सहायता आदि की लागत सहित व्यय की पूर्ति हेतु है।

7. **पैट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रशासन करता है। यह संस्था सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देती है और पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, आदि को विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देती है।

8. **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक (सीजीपीडीटीएम):** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 आदि को प्रशासित करता है।

9. **भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री:** यह कार्यालय भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) संबंधी विधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

10. **बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण::** यह प्रावधान पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री सहित सम्मिश्र योजना के लिए है।

11. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** इसमें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है।

12. **आर्थिक सलाहकार:** यह कार्यालय (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर सलाह प्रदान करता है, (ii) औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, (iii) औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में ऋण नीति, ऋण आयोजन और इसकी उपलब्धता से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है, (iv) उद्योग के लिए वित्तीय प्रस्तावों और शुल्क/उगाहियों का विश्लेषण करता है, (v) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है (vi) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है।

13. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.):** इसकी स्थापना रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क भौगोलिक संकेतक के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। आई.पी.ए.बी. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का स्थान लेता है। बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है।

14. **प्रशुल्क आयोग:** यह भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 से स्थापित आयोग की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

15. **नमक आयुक्त:** यह संगठन केंद्रीय नमक उपकर अधिनियम 1953 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्ति संगत वितरण को भी विनियमित करता है। यह नियमित रूप से नमक की उपलब्धता और मूल्य को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास/कल्याण कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

16. **केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान::** केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूरु धातुकर्म उद्योग सहित विनिर्माण के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों के लिए विशेष उपस्करों मशीनों और विशेषीकृत उन्नत परीक्षण प्रणालियों के डिजाइन और विकास के सम्पूर्ण समाधान की व्यवस्था करता है।

17. **लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद:** इसके अन्तर्गत लुगदी और कागज क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज लुगदी एवं सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद को दिए गए अनुदान शामिल हैं।

18. **सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद:** इसमें सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यवस्था की गई है।

19. **भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम:** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के मुख्यत उद्देश्य चमड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए कच्चा माल सामग्री के आधार को बढ़ाना; पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना, मानव संसाधन का विकास करना, परम्परागत चमड़ा कारीगरों की सहायता करना, बुनियादी ढांचा संबंधी बाधाओं का समाधान करना तथा संस्थागत सुविधाओं की स्थासपना करना है।

20. **अन्य स्कीम:** इसमें अशोक कागज मिल, असम एकक के लिए सहायता का प्रावधान है।

21. **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन::** इसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान देने के लिये प्रावधान किया गया है।

22.01. **औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी:** इसमें परिवहन सब्सिडी योजना, 1971 और 'ढुलाई सब्सिडी योजना, 2013" नामक संशोधिक योजना के तहत पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है।

22.02. **जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज:** इसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, राज्यों के लिए औद्योगिक नीति में निहित विभिन्न स्कीमों के वित्तपोषण की व्यवस्था है।

22.03. **पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज:** इस पैकेज में केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना और व्यापक बीमा योजना नामक विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

23. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** चुनिंदा कार्यशील समूहों में निजी-सरकारी भागीदारी के जरिए गुणवत्ता अवसंरचना प्रदान कर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु।

24. **राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद:** इसमें राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान किया गया है।

25. **बॉयलर का सर्वेक्षण:** इसमें बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययनों हेतु बजट का प्रावधान है।

26. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद:** एक शीर्ष निकाय के रूप में इस परिषद का गठन ऐसे विनिर्माण क्षेत्रों के विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए जिनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर के उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करे। स्थापना संबंधी व्ययों के अलावा, विभिन्न अध्ययनों, मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करना और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने से जुड़े कार्य करने की भी जरूरत है ताकि विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पार्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

27. **निवेश प्रोत्साहन योजना:** निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य विभिन्न कार्यकलापों जैसे संयुक्त आयोग की बैठकों, सीआरओ बैठकों, विदेश में प्रतिनिधिमंडल के दौरे आदि के जरिए देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, है। इन्वेस्ट इंडिया कम्पनी, डीआइरपीपी-एफआईसीसीआई का संयुक्त उपक्रम, का उद्देश्य देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

27.01. **ई-बिज परियोजना::** ई-बिज मिशन मोड परियोजना को नेशनल ई-गर्वनेंन्स आयोजना के तहत 31 मिशन मोड परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एक ही पोर्टल पर उपलब्ध केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के व्यावसायिक और निवेश संबंधी नियामक सेवाओं से संबंधित सभी व्यवसाय और निवेशक मैत्री इको सिस्टम का सृजन करना है। जिससे निवेशकों व व्यावसायिकों के मल्टीपल कार्यालयों में जाने की आवश्यकता अथवा वैबसाईटों की अधिकता से बचा जा सके।

28.01. **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट:** दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर परियोजना को दादरी (उ.प्र.) तथा जेएनपीटी (नवी मुंबई) के बीच 1483 किमी. लंबे वेस्ट र्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कारिडोर के साथ-साथ दोनों ओर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। छ: राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यं प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली इस परियोजना में स्थांनीय वाणिज्य को सक्रिय करने, निवेश बढ़ाने तथा सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिवेश तथा अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करने की अपेक्षा की गई है। डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वायन निधि एक परिक्रामी निधि होगी और इसकी स्थापना एक न्यास के रूप में की जाएगी। यह निधि/न्यास वित्ती य संस्थाएनों से दीर्घावधिक निधीयन प्राप्त करके तथा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर में और इसके आस-पास के शहरों के विकास में सहायता करके भारत सरकार द्वारा उपलब्धि संसाधनों का लाभ उठाएगा। निकाय के कोर्पस का इस्तेमाल (क) गैर-पीपीपी अवसंरचना के विकासार्थ नोडल/शहरी स्तर की एसपीवी के लिए इक्विटी और/अथवा ऋण मुहैया कराने तथा अन्य/परियोजना जिन्हें विशिष्ट एसपीवी, नोडल/शहर स्तर की एसपीवी द्वारा स्थापित किया जा सकता है, में निवेश के लिए (ख) अन्य परियोजना विशिष्ट एसपीवी तथा परियोजना विशिष्ट एसपीवी से युक्त क्षेत्रीय धारक कंपनियों के लिए इक्विटी और/अथवा ऋण तथा (ग) परियोजना विकासार्थ डीएमआईसीडीसी के लिए अनुदान मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। डीएमआईसी ने अभी तक ऋण/इक्विटी के तौर पर निवेश वाली नौ परियोजनाओं का अनुमोदन किया है।

28.02. **प्रदर्शनी सह अभिसमय केन्द्र:** प्रदर्शनी सह अभिसमय केन्द्र द्वारका दिल्ली में स्थापित किया जाएगा जो देश में वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलनों के लिए आइकनिक ढ़ाँचा और अभिकेन्द्र के लिए परिकल्पित है।

29. **राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण:** यह प्रावधान राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण के लिए किया गया है।

30.02. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडर:** यह प्रावधान अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडर के साथ ही परियोजना विकास फण्ड के लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडर कोर्पस के लिए सरकार की इक्विटी मुहैया कराने के लिए है।

33. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ को परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।